इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रूपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 1 अगस्त 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक स्तर से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक स्तर से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

2014-15 के बजट की मुख्य विशेषताएं ----------1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ---------- ----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं ----------3
विनियामकों के कथन ----------5
सूक्ष्मवित्त ------ ---------- 5
अंतरराष्ट्रीय समाचार ---------- 5
ग्रामीण बैंकिंग ----------5
विदेशी मुद्रा / उत्पाद एवं गठजोड ----------6
नयी नियुक्तियां----------6
बासेल -III - पूंजी विनियमन----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ----------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें ----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

बजट 2014-15 : मुख्य विशेषताएं

- विदेशी निवेश की संमिश्र सीमा विदेशी निवेश और संवर्धन बोर्ड के माध्यम से पूर्ण भारतीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण के साथ बढ़ा कर 49% की जाएगी।
- बीमा क्षेत्र में संमिश्र सीमा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से पूर्ण भारतीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण के साथ 26% से बढ़ा के 49% की जाएगी।
- स्मार्ट शहरों के विकास हेतु निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पूंजी की शर्तों को क्रमश: 50,000 बर्ग मीटर से घटा कर 25,000 वर्ग मीटर तथा 10 मिलियन अमरीकी डालर से घटा कर 5 मिलियन अमरीकी डालर किया जाएगा।
- हमारे बैंकों में 2018 तक इक्विटी के रूप में 2,40,000 करोड़ रूपये लगाने की आवश्यकता बासेल III मानदंडों के अनुरूप होगी।
- बैंकों की पूंजी जनता की शेयरधारिता को चरणबद्ध रीति से बढ़ा कर बढ़ाई जाएगी।
- सरकार 100 करोड़ रूपये की प्रारंभिक राशि से असम और झारखंड में उत्कृष्टता के दो और कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करेगी।
- कृषि-तकनीक मूलभूत सुविधा निधि के लिए 100 करोड़ रूपये की रकम अलग रख दी गई है।
- आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय और तेलंगाना तथा हरियाणा में बागबानी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक किसान को मिशन विधि से धरती स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाली योजना आरंभ की जाएगी।
- भूमिहीन कृषकों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड के माध्यम से भूमिहीन किसान के 5 लाख संयुक्त खेतिहरों के समूह को वित्त प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।
- ग्रामीण मूलभूत सुविधा निधि की मूल पूंजी अंतरिम बजट में दिए गए 25,000 करोड़ रूपये के लक्ष्य में 5,000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है।
- गोदाम की मूलभूत सुविधा निधि के लिए 5,000 करोड़ रूपये के आबंटन का प्रावधान किया गया है।

- सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के उद्देध्य से 5,000 करोड़ रूपये की प्रारंभिक मूल पूंजी के साथ दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि स्थापित की जाएगी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए वित्तीय संरचना की जांच करने, अड़चनों को दूर करने और तीन माह के भीतर ठोस सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
- विशेषत: युवाओं द्वारा नयी शुरूआतों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यम पूंजी निधियों, इक्विटीवत् निधियों, सुलभ ऋणों तथा अन्य जोखिम पूंजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रूपये की मूल पूंजी से निधियों की निधि गठित की जाएगी।
- सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र में एकसमान अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों और अपने ग्राहक को जानिए रिकार्डों की अंतर-उपयोज्यता की शुरूआत।
- भारतीय रिज़र्व बैंक छोटे बैंकों तथा अन्य विशिष्टीकृत बैंकों के लिए लाइसेंसीकरण ढांचे का निर्माण करेगा।
- मुख्य हितों को पूरा करने वाले विशिष्टीकृत बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों आदि से छोटे व्यवसायों, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्यबल की ऋण एवं विप्रेषण जरूरतें पूरी करना उद्दिष्ट है।
- छ: नये ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्याम उद्यम क्षेत्र में नयी खोली जाने वाली कम्पनियों के लिए सहभागी निजी निधियों को उपयुक्त कर प्रोत्साहन के साथ उद्यम पूंजी के लिए इक्विटी इक्विटीवत् निधि, सुलभ ऋणों और अन्य जोखिम पूंजी के रूप में निजी पूंजी आकर्षित करने हेतु उत्प्रेरक का काम करने के लिए 10,000 करोड़ रूपये की निधि गठित की जाएगी।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक नकदी के स्तरों का प्रबन्धन इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड प्लेटफार्म पर करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण बाज़ार में नकदी के स्तरों का प्रबन्धन करने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड क्रय -विक्रय प्लेटफार्म का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। उक्त तकनीक भारतीय रिज़र्व बैंक को गुमनामी प्रदान करती है तथा उसके सामान्य खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) से प्रस्थान को संभव बनाती है। इसके पीछे निहित सम्पूर्ण विचार चलनिधि प्रबन्धन को दीर्घावधिक प्रतिफलों को प्रभावित करने से रोकना है। अवरूद्ध होने पर अथवा चलनिधि के तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान (NDS-OM) के माध्यम से प्रदान किए जाने पर इससे उन प्रतिफलों पर पड़ने वाले प्रभावों से बचने में सहायता प्राप्त होगी, जो समान्यतया खुले बाज़ार के परिचालनों के बाद पड़ते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई से आरंभ होने वाले 3 सप्ताहों में तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान के नाम से ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक क्रय-विक्रय प्लेटफार्म के माध्यम से कुल 4,385 करोड़ रूपये के बॉण्ड बेचे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों को स्वर्ण ऋण के नये मानदंड मिले

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा चिकित्सकीय और अनपेक्षित दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से स्वीकृत ऋण स्वर्णाभूषणों और रत्नों के मूल्य के 75% से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन को मानकीकृत करने तथा उसे अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रतिभूति / संपार्श्विक के रूप में लिये गये स्वर्णाभूषण को इंडिया बुलियन एण्ड ज्वेलर्स एसोशिएशन लिमिटेड द्वारा यथा-उद्धृत पूर्ववर्ती 30 दिनों के लिए 22 कैरट सोने के अंतिम मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा। सोने के 22 कैरट से कम शुद्धता वाला होने पर बैंक द्वारा संपार्श्विक को 22 कैरट में रूपांतरित कर दिया जाना चाहिए तथा संपार्श्विक के वस्तविक ग्राम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हीरा आयात ऋण का समय बढ़ाकर 180 दिन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कच्चे, तराशे एवं परिष्कृत हीरों के आयात से सम्बन्धित मानदंडों को ऋण समयावधि को दोगुनी करते हुए 180 दिन बढ़ाकर शिथिल कर दिया है। प्रलेखरहित ऋण - किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भारतीय ग्राहक / क्रेता को किसी साखपत्र के बिना (आपूर्तिकर्ता के ऋण) / वचन पत्र के बिना दिया गया ऋण (क्रेता के ऋण) / किसी भारतीय वित्तीय संस्था से कच्चे, तराशे और परिष्कृत हीरों के आयात हेतु मीयादी जमाराशियों को पोतलदान की तिथि से 180 दिनों से अनधिक अवधि के लिए अनुमति होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशों में निवेश सीमा को बहाल रखा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय कारपोरेट द्वारा विदेशों में निवेश के मानदंडों को उनकी उधार सीमा बढ़ाकर शिथिल कर दिया है। तथापि, एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन अमरीकी डालर (अथवा उसकी समतुल्य रकम) से अधिक की किसी प्रतिबद्धता के लिए भारतीय पक्षकार की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता के स्वत: मार्ग के अधीन पात्र सीमा के भीतर होने पर भी भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। वित्तीय प्रतिबद्धता कम्पनी के पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल मालियत के 100% की तुलना में 400% के भीतर सीमित होनी चाहिए। किसी भारतीय पक्षकार द्वारा स्वत: मार्ग के अधीन स्वीकार की जाने वाली विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश (ODI) अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता (FC) की सीमा 14 अगस्त, 2013 के पहले विद्यमान विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित सीमा तक कायम रखी जाएगी।

निधि प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी निवेशकों से सम्बन्धित मानदंडों का सरलीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवेश सृजित करने के लिए स्थानीय उद्यमों हेतु निधियां आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश नियमों को सरल बना दिया है। स्थानीय कम्पनियों द्वारा जारी आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों और वारंटों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए पात्र लिखतों की मान्यता दी जाएगी। आज तक केवल इक्विटी शेयरों और अनिवार्य रूप से तथा आज्ञात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों या डिबेंचरों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुपालक लिखतों के रूप में मान्यता दी जाती थी। अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों क विषय-क्षेत्र को विस्तीर्ण कर दिया है। आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों का मूल्य-निर्धारण प्रारंभ में ही किया जाएगा तथा (शेयर प्रीमियम सहित) कुल प्रतिफल की रकम का 25% भी प्रारंभिक स्तर पर प्राप्त किया जाएगा। पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों के रूप में शेष प्रतिफल 12 माह की अवधि के भीतर प्राप्त होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां अस्थिर दर वाले ऋणों पर समयपूर्व भुगतान जुरमाना नहीं लगा सकतीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को अस्थिर दर वाले सावधि ऋणों पर ग्राहकों से समय-पूर्व भुगतान जुरमाने वसूल करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। उसने बैंकों को मई 2014 से मोचन निषेध जुरमाने वसूल करने से पहले से ही रोक रखा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी बॉण्डों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की उप सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी बॉण्डों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की उप सीमा को मौजूदा 20 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा समाप्त हो जाने के बाद 5 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा दी है। इस मुहिम से हाल ही में अस्थिर हो गए प्रतिफलों के स्थिर हो जाने की आशा है। सरकारी बॉण्डों में विदेशी संस्यागत निवेशकों की समग्र सीमा 30 बिलियन अमरीकी डालर पर अपरिवर्तित रखी गई है। हालांकि, बीमा और पेंशन निधियों जैसे दीर्घावधिक निवेशकों की उप सीमा घटा कर 5 बिलियन अमरीकी डालर कर दी जाएगी। वृद्धिशील निवेश की सीमा का निवेश 3 वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता वाले सरकारी बॉण्डों में करना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोने पर ऋण के मानदंड आसान किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा सोने के आभूषणों और रत्नों गिरवी के समक्ष किसी भी समय स्वीकृत किए जाने वाले कृषीतर ऋण की रकम से सम्बन्धित 1 लाख रुपये की सीमा को समाप्त कर दिया है। मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) का 75% का अनुपात ऐसे सभी ऋणों की पूरी अवधि के दौरान बनाए रखना होगा। मूल्य की तुलना में ऋण गिरवीकृत प्रतिभूति के मूल्यांकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दिए गए ऋण की रकम होती है। ऋण की वह अवधि जिसमें ब्याज और मूलधन, दोनों ऋण की परिपक्वता पर भुगतान हेतु देय होते हैं, स्वीकृति की तिथि से 12 माह से अधिक नहीं हो सकती।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

निजी क्षेत्र में "छोटे बैंकों" के लाइसेंसीकरण हेतु दिशानिर्देशों का प्रारूप

संघीय बजट 2014-15 की पृष्ठभूमि में तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों, कृषि को ऋण की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाने तथा देश में बैंक-रहित एवं अल्प बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में "छोटे बैंकों" की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, निजी क्षेत्र में "छोटे बैंकों" के लाइसेंसीकरण हेतु दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इन दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि प्रस्तावित छोटा बैंक कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत होगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत लाइसेंसीकृत होगा। छोटा बैंक सार्वजनिक निर्गमों के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियमनों तथा बैंकिंग कम्पनियों को लागू होने वाले अन्य दिशानिर्देशों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य विनियामकों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / अनुदेशों तथा विविध अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

बैंकिंग एवं वित्त, कम्पनियों और सोसाइटियों के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति / व्यावसायिक प्रवर्तकों के रूप में पात्र होंगे। मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियां (NBFCs), सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (MFIs) तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक (LAB) भी छोटे बैंक में रूपांतरण का विकल्प चुन सकते हैं। छोटे बैंक का परिचालन क्षेत्र सामान्यत: राज्यं / संघ शासित क्षेत्रों के समरूपी समूह (क्लस्टर) में निकटस्थ जिलों तक सीमित होगा, ताकि बैंक अपने परिचालन क्षेत्र को यथोचित भौगोलिक निकटता वाले एक या उससे अधिक राज्यों में स्थित निकटस्थ जिलों से आगे विस्तारित करने के लचीलेपन के साथ स्थानीय संवेदन एवं संस्कृति से सम्पन्न हो। छोटे बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा कार्यकलाप आरंभ करने हेतु सहायक कम्पनियां गठित करने की अनुमति नहीं है। छोटे बैंकों की मताधिकारयुक्त न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी। उनसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाले किसी उच्चतर प्रतिशत की शर्त पर बासेल I के अधीन परिकलित न्यूनतम 15% का जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) निरंतर आधार पर बनाए रखना अपेक्षित है।

आवास ऋण 21% की दर से बढ़ सकता है

भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में आवास ऋण के 19-21% वाली उसी गति से से ब□ने और उसके बाद तेज होने की आशा है । मार्च 2014 में कुल आवास ऋण बकाया मार्च 2013 के 7.5 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक (20% का उछाल) था। भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) विश्वास है कि मार्च 2018 तक बंधक की पैठ दो अंकों के स्तर तक बढ़

सकती है । मार्च 014 में ये स्तर मार्च 2013 के 7.6% से बढ़ कर 8% तक पहुंच गए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दीर्घावधिक बॉण्डों की सहायता से आस्ति-देयता के मुद्दों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं

इंडिया रेटिंग्स द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को श्रेष्ठ दीर्घावधिक बॉण्ड जरी करने की अनुमति दिए जाने से आस्ति - देयता के असंतुलनों को सुधारने तथा निधीयन बहिर्वाहों को बढ़ा कर चलनिधि व्याप्ति अनुपात को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। उक्त रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि आस्ति-देयता प्रबन्धन से सम्बन्धित मुद्दों में वृद्धि ऋणों और जमाराशियों की अवधियों में बढ़ती भिन्नता के कारण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में एक वर्ष तक के संचयी ऋणात्मक निधीयन अंतर 2002 में 4% से बढ़ कर मार्च 2014 के अंत में आस्तियों के 15.7% तक पहुंच गया। कुछेक बैंकों के मामले में उन तैयार संपार्श्विकों की कमी भी मौजूद है जिनका उपयोग चलनिधि संकुचन वाली स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्खरीद (Repo) में किया जा सकता है। बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते निधीयन अंतर की यह प्रवृत्ति अस्थायी स्वरूप वाली है, विशेषत: तब जब आर्थिक पुनरूत्थान के लिए दीर्घावधिक अवधि वाले आधारभूत सुविधा ऋणों में निरंतर बैंक निधीयन की आवश्यकता हो सकती है।

बैंकों को पूंजी भण्डार निर्मित करने हेतु एक वर्ष की समय सीमा प्राप्त हो सकती है

बैंकों को उनकी पूंजी योजनाओं को समायोजित करने हेतु यथोचित समय प्रदान करने के लिए प्रति-चक्रीय पूंजी भण्डार (CCCB) के सम्बन्ध में निर्णय की चार तिमाहियों की समय-सीमा के साथ समय-पूर्व घोषणा की जा सकती है। प्रति-चक्रीय पूंजी भण्डार (CCCB) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि मंदी के दौरान ऋण प्रवाह को बनाए रखने हेतु बैंकिंग प्रणाली के पास पर्याप्त पूंजी मौजूद हो। पूंजी निधीयन का एक मंहगा रूप होती है। इसप्रकार, पूंजीगत प्रतिरक्षा के जमावड़े से सम्बन्धित विनिर्देशन आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों के उत्कर्ष पर होने की स्थिति में अतिशय ऋण वृद्धि को भी नियंत्रित कर सकता है। उस अवधि के दौरान सुरक्षित भण्डार ऋण की लागत में वृद्धि करते हुए तथा इसलिए मांग को धीमी करते हुए देनदारों के परिप्रेक्ष्य में एक विमंदक के रूप में कार्य कर सकता है। प्रति-चक्रीय पूंजी भण्डार (CCCB) के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य दल ने कहा है कि जबकि निर्णयन को सुगम बनाने हेतु सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋणगत अंतर का उपयोग प्रयोगसिद्ध विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए, वहीं भारत में इसका उपयोग प्रति-चक्रीय पूंजी भण्डार (CCCB) से सम्बन्धित निर्णयन सकल अनर्जक आस्तियों (GNPAs) में वृद्धि जैसे अन्य संकेतकों के संयोजन में किया जाना चाहिए।

वित्तीय समावेशन में सहायता के लिए ऋण गारंटी निधि

सरकार 40,000 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य बाले उस नये वित्तीय समावेशन मिशन में सहायता के लिए ऋण गारंटी निधि का गठन करेगी, जिसमें लगभग 8 करोड़ नये खाता धारकों को 5,000 रूपये की

ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान 15 करोड़ खाता धारकों तक विस्तीर्ण कर दिए जाने पर उक्त योजना बैंकिंग प्रणाली पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का भार डाल सकती है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस को इस मिशन की शुरूआत करने वाले हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में 58.7% परिवार बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस योजना के अधीन कोई बैंक खाता धारक 5,000 रुपये का ऐसा ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा जिसे एटीएमों के माध्यम से आहरित किया जा सकेगा। बैंक 1,000 रुपये की ऐसी प्रारंभिक सीमा लागू करेंगे जो उधारकर्ता के भुगतान में चूक न करने पर बढ़ाई जा सकती है। यह लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का एक साधन है। उनके इस सुविधा के माध्यम से ऋण प्राप्त कर लेने पर इसे अन्य वित्तीय उत्पादों और वित्तीय साक्षरता अभियानों से आवर्धित किया जा सकेगा। उक्त योजना के तहत प्रत्येक नये ग्राहक को 1 लाख रुपये की अन्तर्निहित दुर्घटना बीमा सरक्षा के साथ एक रूपे डेबिट कार्ड प्राप्त होगा। दोहराव रोकने के लिए ऐसे सभी खाते आधार से सम्बद्ध किए जाएंगे।

नये मानदंडों से मूलभूत सुविधा परियोजनाओं का निधीयन आसान हो जाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूलभूत सुविधा क्षेत्र को उधार देने हेतु कई एक दिशानिर्देश और प्रोत्साहन जारी किए हैं। इंनसे ऋण संरचना में लचीलापन आएगा और बैंकों को इस उधारदायी कार्यकलाप के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों जैसी विनियामक आवश्यकताओं के बिना निधियां जुटाने की अनुमति होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को बहुत लम्बी अवधि वाली परियोजनाओं को उनका समय-समय पर पुनर्वित्तीयन करने के विकल्प के साथ उधार देने की अनुमति दे रखी है। इससे अधिक यथार्थपरक ऋण चुकौती कार्यक्रम के माध्यम से परियोजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता भी सुनिश्चित होगी। बैंक 25 वर्षों वाला चुकौती कार्यक्रम अपना सकते हैं तथा एक विशिष्ट अवधि के बाद उसका पुनर्वित्तीयन करने का विकल्प चुन सकते हैं। अब बैंकों को प्रारंभिक रियायती अवधि के 80% (जिसके दौरान विकासकर्ता को परियोजना से सम्बन्धित राजस्व वसूल करने की अनुमति होती है) के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने की अनुमति है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित कुछ अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा अंतरण तथा विनिमय गृहों की कार्यप्रणाली को आसान बनाने हेतु कुछ अधिकार (शक्तियां) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित कर दिया है। मुद्रा अंतरण सेवा योजनाओं के लिए भारतीय एजेन्टों के प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य अब क्षेत्रीय कार्यालय संभालेंगे। वे पात्र बैंकों को अनिवासी विनिमय गृहों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था में शामिल होने के लिए पहली-बार वाली अनुमति भी दे सकेंगे।

निष्क्रिय खातों के दावेदारों को 4% का प्रतिलाभ मिलेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में निष्क्रिय खातों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि की स्थापना की है। वित्त एवं कम्पनी मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा है कि ऐसे खातों के जमाकर्ताओं / दावेदारों तथा जमाराशियों को इस प्रकार के खातों में पड़ी रकम पर प्रति वर्ष 4% का साधारण ब्याज मिलेगा।

व्यापारिक प्राप्य राशियों की भुनाई प्रणाली (TReDS) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त में सहायक होगी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनका प्राप्य मिलनां आसान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारिक प्राप्य राशियों की भुनाई प्रणाली (TReDS) स्थापित करने हेतु दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया है। व्यापारिक प्राप्य राशियों की भुनाई प्रणाली (TReDS) एक ऐसी विनिमय स्थल की भांति होगी जहां वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसकी किसी बड़े कारपोरेट से कुछ प्राप्य राशियां अनिर्णीत पड़ी हों, बिल का क्रय-विक्रय करने में समर्थ होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का ऋण चक्र छोटा हो जाएगा तथा प्रतिस्पर्धा के कारण उसे उस बिल की बेहतर कीमत पाने में सहायता प्राप्त होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, विक्रेतां, कारपोरेट क्रेता तथा वित्तपोषक, (बैंक और बैंकेतर, दोनों) व्यापारिक प्राप्य राशियों की भुनाई प्रणाली (TReDS) में प्रत्यक्ष सहभागी होंगे।

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार क्रय-विक्रय करेंगे

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा है कि मुद्रा व्युत्पन्नियों के क्षेत्र में बैंकों का कोई भी क्य-विक्रय कार्यकलाप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित होगा। इसके अलावा, घरेलू संस्थागत निवेशक प्रत्येक शेयर बाज़ार में मुद्रा व्युत्पन्नी खण्ड में 100 मिलियन अमरीकी डालर या उसके समतुल्य रकम तक का विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय कर सकते हैं। सभी संविदाओं में सकल जोखिम स्थिति कुल प्रारंभिक ब्याज के 15% या 100 मिलियन अमरीकी डालर, इनमें से जो अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, क्रय-विक्रय की यह सीमा घरेलू संस्थागत निवेशकों को उनके सम्बन्धित विनियामकों द्वारा मुद्रा व्युत्पन्नी खण्ड में सहभागिता करने हेतु दी गई अनुमति कर के अध्ययीन होगी।

'विफल होने की दष्टि से अत्यधिक सुदृढ़' बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कठोर विनियामक मानदंड जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक या डी-सिब्स कहे जाने वाले बैंकों की पहचान करने और उनसे व्यवहार करने हेतु एक ढांचा (रूपरेखा) जारी किया है। सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक का आकार किसी बैंक को घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक अभिहित करने के लिए एक मानदंड होगा और यह उच्चतर पूंजी आवश्यकताओं के अध्ययीन होगा। किसी बैंक को घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक के रूप में अभिहित करने के अन्य तीन मानदंड हैं : अंतरसम्बद्धता; आसानी से उपलब्ध स्थानापन्नों अथवा वित्तीय संस्था की मूलभूत सुविधा का अभाव तथा जटिलता। इन बैंकों को उनके

सर्वांगी महत्वपूर्ण अंकों के आधार पर पांच समूहों में अलग किया जाएगा तथा वे किस समूह में रखे गए हैं इस आधार पर हानि अवशोषकता पूंजीगत प्रभार के अध्ययीन होंगे । निम्नतर समूह (समूह 4) में शामिल घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक पर (0.20% का) निम्नतर पूंजीगत प्रभार लागू होगा तथा उच्चतर समूह में शामिल घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक पर (1% का) उच्चतर पूंजीगत प्रभार लागू होगा। उच्चतर पूंजी आवश्यकताएं 1 अप्रैल, 2016 से चरणबद्ध रीति से लागू होंगी और 1 अप्रैल, 2019 से पूरी तरह लागू होंगी।

विनियामकों के कथन

बैंक ग्रामीण एटीएमों की स्थापना कर रहे हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने कहा है कि बैंक अपेक्षाकृत छोटे मूल्यवर्ग वाले मुद्रा (करेंसी) नोट वितरित करने हेतु ग्रामीण एटीएम लगाने की तैयारी कर हे हैं। विशिष्ट रूप में शहरं अथवा नगर केन्द्रित एटीएमों में बैंक उच्चतर मूल्यवर्ग (यथा 1000 और पांच सौ रुपये) वाले नोट वितरित करते हैं।

ऋण बाज़ार का मुक्त किया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर .डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि भारत अपने ऋण बाज़ार को अल्पावधिक विदेशी निवेशकों के लिए मुक्त करेगा, किन्तु यह कार्य केवल तीव्र अस्थिरताओं से निपटने हेतु दीर्घकालिक विदेशी निवेशों के माध्यम से चलनिधि का जमावड़ा कर लेने के बाद ही किया जाएगा। सामान्य रूप में यह अभियान अधिक उदारीकरण की दिशा में केन्द्रित है न कि उससे दूर। किन्तु हमें इसे स्वयं अपनी गति से करना होगा। भारत ने विदेशी निधि प्रबन्धकों को अधिक सरकारी बॉण्ड रखने की अनुमति दे रखी है, किन्तु अपनी समग्र ऋण की उच्चतम सीमा को सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लागू करते हुए यह शर्त भी लगा रखी है कि वे 3 वर्ष से कम के ऋण रखने में समर्थ नहीं होंगे।

वित्तीय समावेशन की योजना बनाने की स्वतंत्रता

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान ने विचार व्यक्त किया है कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में अत्यधिक आदेशात्मकता से अन्यमनस्कता पैदा होती है। बैंकों को उनकी अपनी वित्तीय समावेशन रणनीति निर्धारित करने तथा उनकी वाणिज्यिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक एक ऐसा सहायक विनियामक वातावरण उप्ब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जिसमें वित्तीय संस्थाएं अड़चन रहित वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में अपने कारबार संपर्की (BC) मॉडेल में कुछेक प्रतिबंधों को हटा दिया है तथा

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को कारबार संपर्कियों के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ग्रामीण वित्त प्रदान करने में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। अब छोटे बैंकों और भुगतान बैंकों जैसे नये वित्तीय सेवा प्रदाताओं के आगमन के परिणामस्वरूप ग्रामीण बैंकिंग के भूदृश्य में विस्तार होने वाला है।

सूक्ष्मवित्त

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की उधार दरें 27.75% रखीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त कम्पनियों की जुलाई से सितम्बर तिमाही के लिए उधार दर की उच्चतम सीमा 27.75% पर अपरिवर्तित रखा है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उनकी निधि लागत 17.75% से कम होने पर कम ब्याज लगाना पड़ सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिकतम दर का निर्धारण पांच शीर्ष वाणिज्यिक बैंकों की आधार दर का औसत निकाल कर और उसे 2.75 से गुणित करके किया है। प्रयोज्य औसत आधार दर मार्च के औसत से अपरिवर्तित रूप में 10.09% निर्धारित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी तिमाही में गैर-बैंकिंग कम्पनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर की गणना करने हेतु औसत आधार दर को प्रत्येक तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को संशोधित करता है। उसने इसे उनकी निधियों की लागत से जोड़ कर उक्त सूत्र निर्धारित किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के दर निर्धारण में कहा गया है कि 100 करोड़ रूपये के ऋण पोर्टफोलियो वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार दर का निर्धारण उनकी निधियों की लागत को अधिकतम 10% मार्जिन के साथ जोड़कर या 27.75%, इनमें से जो भी कम हो, पर करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

नये ब्रिक्स बैंक से भारत को बढ़ावा मिलेगा

वैश्विक स्तर पर भारत की हैसियत में प्रस्तावित 100 बिलियन अमरीकी डालर वाले नये विकास बैंक तथा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित आकस्मिकता आरक्षित निधि व्यवस्था द्वारा वृद्धि हो सकती है। 50 बिलियन अमरीकी डालर की प्रारंभिक मूल पूंजी के साथ नया विकास बैंक न केवल भारत की, अपितु अन्य विकासशील देशों की मूलभूत सुविधा आवश्यकताओं का निधीयन करने हेतु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विकल्प हो सकता है। आकस्मिकता आरक्षित निधि व्यवस्था ब्रिक्स देशों को एक ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा (बीम्)ा) प्रदान करेगी जो संकटों के समय एक-दूसरे को सुरक्षित बाहर निकालने में सहायक हो सकती है। मज़बूत ब्रिक्स का विश्व व्यापार संगठन तथा जलवायु परिवर्तन संयोजन जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों में अधिक प्रभाव हो सकता है।

ग्रामीण बैंकिंग

किसानों की सहायता करने हेतु नाबार्ड एनबीएफसी शाखिका की योजना बना रहा है

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अपने आपको उत्पादक संगठनों के रूप में संगठित करने वाले किसानों की सहायता करने हेतु एक पूर्णत: स्वाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी का गठन करने पर विचार कर रहा है। इस मुहिम का उद्देश्य 2011 में गठित उत्पादक संगठन विकास निधि (PODF) के तत्वावधान में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) बनाना और बढ़ाना है। वर्ष 2014-15 के संघीय बजट में नाबार्ड की उत्पादक संगठन विकास निधि को 200 करोड़ रुपये की रकम से अनुपूरित करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग आगामी दो वर्षों में देशभर में 2,000 से अधिक उत्पादक संगठन निर्मित करने में किया जाएगा। अब तक नाबार्ड ने 91 उत्पादक संगठनों का 236 करोड़ रुपये की रकम से वित्तीयन किया है। कृषि और सहकारिता विभाग के अनुसार किसानों को सदस्य-स्वाधिकृत कृषक उत्पादक संगठन में एकत्रित करने का मूल उद्देश्य सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बीज और उर्वरक □सी उच्च गुणवत्ता वाली निविष्टियों की प्राप्ति सुनिश्चित करना और उपज बाज़ार में पहुंच के साथ-साथ सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाना है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 813.2 मिलियन की वृद्धि

भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 813.2 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई जिससे वे 18 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 317.85 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियां, जो प्रारक्षित निधि का काफी बड़ा भाग रहीं, 829.1 मिलियन अमरीकी डालर बढ़कर रिपोर्टिंग वाले सप्ताह में 291.05 बिलियन डालर हो गईं। सोने की प्रारक्षित निधियां 20.63 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अपरिवर्तित रहीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार और देश की प्रारक्षित निधियों की स्थिति में क्रमश: 11.5 मिलियन और 4.4 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई।

अगस्त, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.36000	0.759	1.206	1.611	1.898
जीबीपी	0.85260	1.3672.	1.7283	1.9981	2.1938
यूरो	0.32400	0.342	0.414	0.523	0.656
जापानी येन	0.19380	0.186	0.198	0.229	0.274

कनाडाई डालर	1.47000	1.442	1.625	1.797	1.955
आस्ट्रेलियाई डालर	2.64500	2.777	2.935	3.183	3.303
स्विस फ्रैंक	0.10000	0.079	0.140	0.218	0.325
डैनिश क्रोन	0.57900	0.6380	0.7088	0.8330	0.9780
न्यूजीलैंड डालर	3.93000	4.130	4.298	4.428	4.533
स्वीडिश क्रोन	0.519 50	0.642	0.821	1.013	1.198
सिंगापुर डालर	0.37500	0.713	1.120	1.485	1.760
हांगकांग डालर	0.51000	0.910	1.350	1.710	1.970
एमवाईआर	3.71000	3.830	3.880	3.970	4.070

स्रोत : www.fedai.org.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**25 जुलाइ, 2014 के दिन**	**25 जुलाई, 2014 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	19, 353.4	320, 564.0
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	17, 743.8	2 93,784. 2
ख) सोना	1, 240.0	20 ,634. 9
ग) विशेष आहरण अधिकार	266.9	4, 437.6
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	102.7	1 ,707.3

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय स्टेट बैंक	ऐक्सेंचर	सिद्धान्तत: ऋण अनुमोदन प्रदान करने हेतु
स्टैनचार्ट बैंक	आईसीआईसीआई प्रूडेन्सियल लाइफ	उसके नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पाद वितरित करने हेतु

देना बैंक	यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (USGIC)	वैयक्तिक उधारकर्ताओं को ऋण बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु
भारतीय महिला बैंक	गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग संघ - बीएल्यूडब्ल्यू .	महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा उनकी वित्तीय जरूरतें पूरी करने हेतु
कारपोरेन बैंक	अतुल ऑटो	अतुल ऑटो द्वारा विनिर्मित वाणिज्यिक वाहनों के वित्तीयन हेतु
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	वायु सेना समूह बीमा सोसाइटी (AFGIS)	भारतीय वायु सेना के कार्मिकों को रियायती गृह ऋण प्रदान करने हेतु
भारतीय स्टेट बैंक	आरएमएल इन्फो सर्विसे□	कृषि क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में मोबाइल आधारित वैयक्तीकृत सूचना प्राप्त करने हेतु
येस बैंक	ट्रांसफास्ट	भारत में किसी भी बैंक के पास खातों में तुरंत जमाराशियां उपलब्ध कराने और प्रप्तकर्ता के खाते में जमाराशियों की तुरंत जमा की पुष्टि हेतु
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों का विकास बैंक	नवोन्मेष के वित्तीयन हेतु
कर्नाटका बैंक लिमिटेड	वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड	ट्रैक्टरो, ट्रालियों तथा कृषि मशीनरी की खरीद के वित्तीयन हेतु

नयी नियुक्तियां

नाम	**पदनाम / संगठन**
श्री एस.एस. मून्दड़ा	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री बी. श्रीराम	प्रबन्ध निदेशक एवं समूह कार्यपालक, राष्ट्रीय बैंकिंग, भारतीय स्टेट बैंक
श्री वी.जी.कन्नन	प्रबन्ध निदेशक एवं समूह कार्यपालक, सहयोगी बैंक और सहायक कम्पनियां, भारतीय स्टेट बैंक
श्री शांतनु मुखर्जी	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
श्री एच.एस. उपेन्द्र कामत	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, तमिलनाड मर्कटाइल बैंक लि.
श्री देबाशीष मलिक	उप प्रबन्ध निदेशक, भारतीय निर्यात आयात बैंक
श्री डेविड रक्कुइन्हा	उप प्रबन्ध निदेशक, भारतीय निर्यात आयात बैंक
श्री बृजेश मेहरा	कन्ट्री एक्जीक्युटिव - इंडिया, आरबीएस.

बासेल III- पूजी विनियमन

(**आगामी अंक में जारी रखा जाएगा**)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

चालू एक्सपोजर पद्धति

बाजार से सम्बन्धित तुलनपत्र-बाह्य लेनदेन के ऋण की समतुल्य रकम की गणना इन संविदाओं के संभाव्य भावी ऋण एक्सपोजर में चालू एक्सपोजर पद्धति का उपयोग करते हुए चालू ऋण एक्सपोजर को जोड़कर की जाती है। चालू एक्सपोजर पद्धति को किसी संविदा के बाज़ार मूल्य में धनात्मक चिन्ह के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। चालू एक्सपोजर पद्धति में चालू एक्सपोजर पद्धति की संविदाओं के बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करके आवधिक गणना करना, इसप्रकार चालू ऋण एक्सपोजर का पता लगाना आवश्यक होता है। संभाव्य भावी ऋण एक्सपोजर का निर्धारण इन संविदाओं में से प्रत्येक के सांकेतिक मूलधन की रकम को गुणित कर के इस पर ध्यान दिए बिना कि उस संविदा का दैनिक बाज़ार मूल्य शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सम्बन्धित योजक कारक द्वारा लिखत की प्रकृति और अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार किया जाता है।

शब्दावली

तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान

रिज़र्व बैंक ने तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान अथवा जैसा कि वह कही जाती है एनडीएस-ओएम की शुरुआत अगस्त, 2005 में की। तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन करने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन आधारित, गुमनाम, आदेश पर चालित लेनदेन प्रणाली है। तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान की मालिक रिज़र्व बैंक है और इसका रख-रखाव भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) करता है। यह प्लेटफार्म काउंटर पर (OTC) या सरकारी प्रतिभूतियों के फोन बाज़ार के अतिरिक्त है। तयशुदा लेनदेन प्रणाली -आदेश मिलान सरकारी प्रतिभूतियों के गौण बाज़ार में लेनदेनों में पारदर्शिता लाती है। सदस्यगण तयशुदा लेनदेन प्रणाली -आदेश मिलान के स्क्रीन पर सीधे ही बोलियां (क्रय आदेश) और प्रस्तावित कीमत (बिक्री आदेश) लगा सकते हैं। आदेश-चालित होने के कारण उक्त प्रणाली सभी बोलियों और प्रस्तावित कीमतों का कीमत / समय की प्राथमिकता के आधार पर मिलान करती है, अर्थात् उसी कीमत के क्रम के भीतर यह सबसे पुराने आदेश का पहले मिलान करती है। उक्त प्रणाली सहभागियों के बीच पूर्णत: गुमनामी सुनिश्चित करती है, क्योंकि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सभी लेनदेनों के निपटान के लिए एक केन्द्रीय प्रतिपक्ष (CCP) के रूप में कार्य करता है। तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान

सीधे संसाधन (STP) को भी सुगम बनाती है, अर्थात् उक्त प्रणाली में किए जाने वाले सभी लेनदेन निपटान के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं। इसके परिचालनों की कार्य-कुशलता और आसानी के परिणामस्वरूप आज तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान ने सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के 80 प्रतिशत से अधिक पर कब्जा जमा लिया है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	खुदरा बैंकिंग पर 4था कार्यक्रम	11 से 16 अगस्त, 2014 तक
2	ऋण जोखिम प्रबन्धन पर उला कार्यक्रम	20 से 27 अगस्त, 2014 तक
3	टॉपसिम - तुलनपत्र अनुरूपण	25 और 26 अगस्त, 2014

संस्थान समाचार

बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ का सम्मेलन 2014

25 सितम्बर, 2014 को आयोजित होने वाले 'बैंकों में प्रतिभा प्रबन्धन' पर केन्द्रित बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) के सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2014 के लिए सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान डॉ. चिप क्लियरी, परामर्शदाता, टैलेन्ट मैनेजमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 25 सितम्बर 2014 को बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) सम्मेलन के बाद सायं 6 बजे दिया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।)

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम

संस्थान ने 3रे उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम के लीडरशिप सेन्टर, कुर्ला, मुंबई में में आयोजन की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

दिशानिर्देशों की अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून महीनों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में समावेश के उद्देश्य से केवल विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों तथा उस वर्ष के क्रमश: 31 जुलाई / 31 जनवरी तक बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही वि□ार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। (अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in.)

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित- प्रेषण तिथि पत्येक माह की 25वीं से 30वीं तक - मुंबई पत्रिका चेलन कार्यालय, मुंबई में प्रेषिथ - डब्ल्यूवीपी लाइसेंस सं. एमआर/टेक/डब्ल्यूपीपी -62 एनई/2013-15 - पूर्व-भुगतान के बिना प्रेषण। लाइसेंस

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें
भारित औसत मांग दरें

8.80
8.50

8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

01/07/14 04/07/14 05/07/14 09/07/14 12/07/14 14/07/14 18/07/14 19/07/14 22/07/14 26/07/14 28/07/14 30/07/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जुलाई, 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

106.00
101.00
96.00
91.00
86.00
81.00
76.00
71.00
66.00
61.00
56.00

01/07/14 02/07/14 04/07/14 07/07/14 09/07/14 11/07/14 15/07/14 18/07/14 23/07/14 24/07/14 25/07/14 31/07/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

26400
26200
26000
25800
25600
25400
25200
25000
24800

01/07/14 02/07/14 07/07/14 09/07/14 14/07/14 15/07/14 17/07/14 17/07/14 21/07/14 24/07/14 25/07/14 28/07/14 30/07/14 31/07/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

आईआईबीएफ विज़न अगस्त, 2014